ए.

गोवा सार्वजनिक सेवा आयोग बनाम.

पंकाज रेने और ओआरएस।

(सिविल अपील सं. 2022 की 2779) अप्रैल 06,2022

बी.

[के. एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

गोवा सिविल सेवा नियम, 2016:आर. 10,12-भारत का संविधान-आयोग की शक्ति, दायरा-विज्ञापन के अनुसार, प्रत्यर्थीगण कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा में उपस्थित हुए और उसी में उत्तीर्ण हुए-इसके बाद, वे लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए और उसी में उत्तीर्ण हुए-साक्षात्कार निर्धारित किया गया था और फिर अपीलार्थी-आयोग ने साक्षात्कार के लिए कट-ऑफ अंक 40 में से 26 निर्धारित किए-साक्षात्कार हुआ और प्रत्यर्थीगणओं को असफल घोषित कर दिया गया-प्रत्यर्थीगणओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी कि अपीलार्थी-आयोग द्वारा कट-ऑफ अंक तय करने के आधार पर कि आर. आर.10 और गोवा सिविल सेवा नियमों की धारा 12 और संविधान की धारा 1 के आलोक में, अपीलकर्ता-आयोग के पास साक्षात्कार चरण में 65 प्रतिशत की कटौती तय करने की कोई शक्ति नहीं थी और विज्ञापन में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया था-उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं की रिट याचिका को यह मानते हुए स्वीकार कर लिया कि मौखिक साक्षात्कार में 65 प्रतिशत न्यूनतम योग्यता अंकों का निर्धारण अवैध था और अपीलकर्ता-आयोग की शक्तियों से परे था-इसलिए तत्काल अपील-आयोजित की गईःआर. 10 (5) घोषणा करता है कि लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार के लिए आवंटित किए जाने वाले अंकों को विज्ञापन में अधिसूचित किया जाना है-चूंकि साक्षात्कार में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए अपीलार्थी-आयोग द्वारा कट-ऑफ अंकों का ऐसा निर्धारण उसकी शक्तियों-सेवा कानून से परे है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः**1.** नियम **10** एक प्रतियोगी परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार आयोजित करने पर विचार करता है।प्रतियोगी परीक्षा अपीलार्थी द्वारा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित तरीके से आयोजित की जानी है।परंतुक अपीलार्थी को उम्मीदवारों की चयन सूची के लिए आवश्यक जांच परीक्षण आयोजित करने की शक्ति प्रदान करता है।इसे किस तरीके से आयोजित किया जाना है**,** यह आयोग द्वारा समय-समय पर तय किया जाने वाला विषय है। यह सबसे ए है

जी.

एच.

657

658 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 5 एस. सी. आर.

यह ध्यान देने योग्य है कि नियम **10 (3)** विशेष रूप से घोषणा करता है कि एक उम्मीदवार को प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत प्राप्त करना होगा।यह कुल अंकों का **65** प्रतिशत आंका गया है।कुछ श्रेणियों के मामले में प्रतिशत कथित रूप से कम हो जाता है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियम **10 (5)** घोषणा करता है कि लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार के लिए आवंटित किए जाने वाले अंकों को आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में अधिसूचित किया जाना है।आयोग को नियमों के विपरीत कार्य करते हुए नहीं पाया जा सकता है क्योंकि आयोग ने विज्ञापन में लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार के लिए अंक आवंटित करने की घोषणा की है।नियम **10** में इसकी अनुपस्थिति से जो स्पष्ट है वह साक्षात्कार में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किया जाने वाला न्यूनतम है।जब यह सवाल उठा कि साक्षात्कार कैसे आयोजित किया जाना चाहिए**,** तो आयोग ने कट ऑफ अंकों के रूप में **40** में से **26** अंक तय करने का फैसला किया।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह साक्षात्कार खंड में कुल अंकों का **60** प्रतिशत है। नियमों में साक्षात्कार के लिए अलग न्यूनतम का प्रावधान नहीं था।विज्ञापन में साक्षात्कार में एक अलग न्यूनतम का प्रावधान नहीं किया गया था।साक्षात्कार से लगभग एक सप्ताह पहले आयोग ने इस संबंध में निर्णय लिया था।**[**पैरा **10,16] [666-**ई**-**एच**; 673-**बी**-**सी**]**

बी.

सी.

डी.

के**.** मंजुश्री बनाम ए**.** पी**.** राज्य और ए**.** एन**.** आर**. (2008) 3** एससीसी **512: [2008] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1025;** दुर्गाचरण मिश्रा बनाम राज्य

ई.

उड़ीसा (1987) 4 एस. सी. सी. 646:[1987] 3 एस. सी. आर. 1097-पर निर्भर।

एम. पी. लोक सेवा आयोग बनाम नवनीत कुमार पोटदार

(1994) 6 एससीसी 293:[1994] 3 पूरक।एससीआर 665; योगेश यादव बनाम यू. ओ. आई. और अन्य। (2013) 14 एससीसी 623:[2013] 8 एससीआर 194-प्रतिष्ठित।

एफ.

2. नियम **12** घोषणा करता है कि आयोग सरकार को चयन सूची भेजने के लिए बाध्य है। चयन सूची को उम्मीदवारों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किया जाना है।चयन सूची को योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किया जाना है, जिसे प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों के अनुसार निर्धारित किया जाना है। नियम निर्माता इस तथ्य से अवगत था कि उसने ए में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त करने के लिए एक अलग न्यूनतम निर्धारित किया है।

जी.

एच.

659

गोवा सार्वजनिक सेवा आयोग बनाम पंकज रेने और ओआरएस।

लिखित परीक्षा।इसने एक साक्षात्कार आयोजित करने पर भी विचार किया लेकिन साक्षात्कार के संबंध में एक अलग न्यूनतम निर्धारित नहीं किया गया था।लेकिन साथ ही, विधि प्रदाता ने विचार किया है कि आयोग को एक चयन सूची तैयार करनी है जिसमें योग्यता उस क्रम को निर्धारित करेगी जिसमें चयन सूची तैयार की जानी है और उसे केवल प्रतियोगी लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का योग करना है।दूसरे शब्दों में, योग्यता सूची केवल प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार विषय में प्रदर्शन से निर्धारित की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने लिखित परीक्षा में **65** अंक प्राप्त किए हैं, वे योग्य होंगे।**[**पारस **11,12] [667-**बी**-**ई**]**

बी.

सी.

3. यहां तक कि रिट याचिका दायर करने के बावजूद, आयोग ने नई कार्यवाही शुरू की। जबकि विवादित फैसले पर रोक है, इस अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि नियुक्तियां विशेष अनुमति याचिका के परिणाम के अधीन होंगी।चूँकि अपीलार्थी आक्षेपित आदेश को चुनौती देने में विफल रहता है, इसलिए प्रत्यर्थीगणओं को अंततः निवारण प्राप्त करना

चाहिए।तदनुसार, विवादित आदेश में निहित निर्देश, यह नियुक्ति प्राधिकरण के लिए है कि वह मामले में कानून के अनुसार निर्णय ले।[पैरा 22] [676-जी; 677-ए]

डी.

हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाह (1974)

ई.

3 एससीसी 220:[1974] 1 एस. सी. आर. 165; पंजाब राज्य और

अन्य बनाम मंजीत सिंह और अन्य (2003) (11) एससीसी 6; तेज प्रकाश पाठक और ओआरएस. वी.राजस्थान उच्च न्यायालय

और ओआरएस.-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

एफ.

[2008] 2 एससीआर 1025

उस पर भरोसा करें

पैरा 4

[2013] 8 एससीआर 194

प्रतिष्ठित

पैरा 4

[1994] 3 पूरक।एस. सी. आर. 665 विशिष्ट पैरा 4 पैरा 4

संदर्भित किया गया है

(2013) 4 एससीसी 540

जी.

[1987] 3 एससीआर 1097

उस पर भरोसा करें

पैरा 6

[1974] 1 एससीआर 165

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

(2003) (11) एससीसी **6**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

एच.

660

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

ए.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 2779।

2017 की रिट याचिका No.660 में गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांकित 21.11.2017 के निर्णय और आदेश से।

प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, अखिल अब्राहम, विजय वल्सन, मैसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी, एड.अपीलार्थी के लिए।

बी.

सिद्धार्थ दवे, देवदत्त कामत, विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अबू बकर सब्बाक, राजेश इनामदार, जावेदुर रहमान, सिद्धांत सिंह, आदित्य भट, हर्ष पांडे, रेवांता सोलंकी, फारुख रशीद, सुश्री रिपुल स्वाति, सुहास कदम, मेसर्स ब्लैक एंड व्हाइट सॉलिसिटर्स, सुश्री रुचिरा गुप्ता, सुश्री शगुन राय, शिशिर देशपांडे, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

अनुमति दी गई

डी.

(1) अपीलार्थी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 14/16 द्वारा, गोवा सिविल सेवा नियम, 2016 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के तहत अनारक्षित श्रेणी के छह पदों और आरक्षित श्रेणी के तीन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।विज्ञापन के अनुसार, 1866 उम्मीदवार 05.03.2017 पर आयोजित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट

(CBRT) में उपस्थित हुए।जब परिणाम घोषित किए गए, तो इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 सहित केवल सात उम्मीदवारों को परीक्षा में उत्तीर्ण पाया गया। विज्ञापन और नियमों के संदर्भ में, लिखित परीक्षा 10.04.2017 और 11.04.2017 पर आयोजित की गई।घोषित किए गए परिणामों में, सात में से केवल चार उम्मीदवार योग्य पाए गए।प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 उनमें से थे।एक श्री विवेक कृष्ण नाइक हैं, जो निस्संदेह पहले स्थान पर रहे।16.05.2017 पर, अपीलार्थी ने साक्षात्कार के संबंध में कट ऑफ अंक तय करने का फैसला किया।साक्षात्कार के लिए निर्धारित कुल अंक 40 थे।अपीलार्थी ने कट ऑफ अंक 26 निर्धारित किए।अंतिम साक्षात्कार 24.05.2017 पर हुआ।श्री विवेक कृष्ण नाइक को सफल घोषित किया गया।प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के परिणाम घोषित नहीं किए गए थे। प्रत्यर्थीगणओं ने मुख्य सचिव को स्थानांतरित करने के अलावा अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए अपीलार्थी के अध्यक्ष के समक्ष मामला उठाया।सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किए गए थे जिसमें यह जानकारी मांगी गई थी कि परिणाम क्यों प्रकाशित नहीं किए गए।यह प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा किया गया था।हम ए पर संकेत देते हुए लंबी कहानी को छोटा करते हैं।

ई.

एफ.

जी.

एच.

661

गोवा सार्वजनिक सेवा आयोग बनाम पंकज रेने और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

21.07.2017, गोवा सिविल सेवा के जूनियर स्केल अधिकारी के 10 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया।

(2) प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने 22.07.2017 पर रिट याचिका दायर की।विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और निम्नानुसार आदेश दिया है:

बी.

“24. हम ध्यान देते हैं कि जवाब में हलफनामे में, 16 मई 2017 की बैठक में निर्णय के अनुसार मौखिक साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं करना याचिकाकर्ताओं के नाम प्रतिवादी-राज्य को नहीं भेजने का एकमात्र कारण है।साक्षात्कार में योग्यता अंकों के अलावा हमें कोई अन्य कारण नहीं दिखाया जाता है।

सी.

25. इन परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1-आयोग की कार्रवाई इस आधार पर गोवा सिविल सेवा के जूनियर स्केल अधिकारी के पद के लिए याचिकाकर्ताओं के नामों की सिफारिश नहीं कर रही है कि उन्होंने मौखिक साक्षात्कार में 65 प्रतिशत न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं किए हैं, अवैध है और प्रत्यर्थी संख्या 1-आयोग की शक्तियों से परे है। 16 मई 2017 की बैठक में प्रत्यर्थी संख्या 1-आयोग द्वारा गोवा सिविल सेवा में जूनियर स्केल अधिकारी के पद के लिए साक्षात्कार में 65 प्रतिशत न्यूनतम योग्यता अंकों के मानदंड को लागू करने का निर्णय इसलिए कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द कर दिया जाता है।प्रत्यर्थी संख्या 1-आयोग मौखिक साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के साथ कोई योग्यता मानदंड जोड़े बिना लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार में याचिकाकर्ताओं के समेकित अंकों के आधार पर 2016 के नियमों के नियम 12 के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगा।प्रत्यर्थी संख्या 1-आयोग सर्वर पर आदेश अपलोड होने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाएगा।"

डी.

ई.

एफ.

(3) अपील में, हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रताप वेणुगोपाल, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवदत्त कामत, प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे और प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे को सुना है।

जी.

(4) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता शिकायत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने उन निर्णयों पर भरोसा करने में गलती की है जिन पर उच्च न्यायालय ने वास्तव में भरोसा किया है।अपीलार्थी का मामला आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में प्रत्यर्थीगणओं की विफलता के इर्द-गिर्द बनाया गया है, जो संविधान के अनुसार,

एच.

करने की शक्ति है।आयोग को उम्मीदवारों की भर्ती करने और उनके नामों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है।ऐसी स्थिति में आयोग के साथ कुछ भी अवैध नहीं है, एक बार और काफी उच्च बार तय करने में जिसके साथ आयोग राज्य सेवा में नियुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों की सेवाएं प्राप्त करने की स्थिति में होगा।यह संविधान के अनुच्छेद 320 से निकलने वाली इसकी संवैधानिक अनिवार्यता का हिस्सा है।परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अंक विज्ञापन में बताए गए थे।यह इंगित किया गया है कि के. मंजुश्री बनाम ए. पी. और ए. एन. आर. राज्य मामले में इस न्यायालय का निर्णय। (2008) 3 एस. सी. सी. 512 उन तथ्यों के संदर्भ में अलग किया जा सकता है जो वास्तव में उक्त मामले में विचार के लिए उत्पन्न हुए थे।विद्वान अधिवक्ता ने भी हमारा ध्यान इस न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित किया, जिसमें योगेश यादव बनाम यू. ओ. आई. और अन्य मामले शामिल हैं। (2013) 14 एससीसी 623।हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय के आधार पर अपीलार्थी द्वारा किया गया प्रयास सफल नहीं हुआ।विद्वान अधिवक्ता ने एम. पी. में इस न्यायालय के फैसले की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया।

बी.

सी.

लोक सेवा आयोग बनाम नवनीत कुमार पोटदार (1994) 6 एस. सी. सी.

293. अंत में, श्री प्रताप वेणुगोपाल ने यह भी बताया कि तीन विद्वान

डी.

तेज प्रकाश पाठक और अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

और अन्य (2013) 4 एस. सी. सी. 540 ने के. मंजुश्री (ऊपर) में निर्णय की शुद्धता से संबंधित मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेज दिया है।यह मामला वृहद पीठ के समक्ष विचाराधीन है।मामलों की संख्या संदर्भित की गई है।

ई.

(5) विद्वान अधिवक्ता श्री प्रताप वेणुगोपाल का यह भी तर्क है कि जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 3 का संबंध है, एक अतिरिक्त कारक है जो उनके खिलाफ है।यह बताया गया है कि तैयार किए गए नियमों के तहत, कोंकणी भाषा का ज्ञान एक आवश्यक योग्यता है।विज्ञापन में इस आवश्यकता को दोहराया गया है।यह इंगित किया गया है कि उच्च न्यायालय में एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था और जवाबी हलफनामे में, साक्षात्कार लेने वाले बोर्ड की कार्यवाही प्रस्तुत की गई है जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य को सामने लाती है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को कोंकणी भाषा में कुशल नहीं पाया गया था जो कि नियमों और विज्ञापन में एक अपरिवर्तनीय आवश्यकता थी।

एफ.

(6) इसके विपरीत, प्रत्यर्थी नं. 1 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवदत्त कामत यह इंगित करेंगे कि इस मामले में प्राप्त तथ्यों पर, सभी चार पर मामला कई निर्णयों से शुरू होता है।

जी.

पी. के. रामचंद्र अय्यर बनाम यू. ओ. आई (1984) 2 एस. सी. सी. 141 में निर्णय।में।

दूसरे शब्दों में, यह इंगित किया जाता है कि प्रत्यर्थीगण के भाग्य को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों के संदर्भ में, इस न्यायालय को अपीलार्थी आयोग के मामले को छूट देनी होगी।नियम ए

एच.

663

गोवा सार्वजनिक सेवा आयोग बनाम पंकज रेने और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार विचाराधीन नियम उन नियमों के समान हैं जो

पी. के. रामचंद्र अय्यर के मामले (ऊपर) में विचार किया गया था।क्या है?

इसके अलावा, उसी तर्क ने निर्णय में बाद की पीठ में अपील की

दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य (1987) 4 एस. सी. सी. 646 में रिपोर्ट की गई।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कामत ने बताया कि निर्णय

हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाह में इस न्यायालय का

बी.

(1974) 3 एस. सी. सी. 220, जो स्पष्ट रूप से तेज प्रकाश पाठक और अन्य (उपरोक्त) में लिए गए दृष्टिकोण का आधार है, ने इस मामले के तथ्यों में प्राप्त नियमों के नियम 12 के समान नियम को शामिल नहीं किया।द.

तेज प्रकाश पाठक और अन्य (ऊपर) के तथ्यों में भी शामिल नहीं था

इस मामले के तथ्यों में लागू नियमों के नियम 12 में निहित वैधानिक निषेधाज्ञा।वह प्रस्तुत करेंगे कि यह कानून नहीं है कि जब मामला एक बड़ी पीठ को भेजा जाता है, तो निर्णय जो एक बादल के नीचे होता है, वह अपनी बाध्यकारी प्रकृति को प्राप्त करना बंद कर देता है। इसके अलावा, तथ्यों में अंतर और इस मामले के तथ्यों में समानता को ध्यान में रखते हुए

सी.

पी. के. रामचंद्र अय्यर के मामले में तथ्यों का समर्थन करता है और

दुर्गाचरण मिश्रा का मामला (ऊपर), आदि, इस मामले को इस न्यायालय द्वारा बड़ी पीठ को भेजे बिना निपटा जा सकता है।(7) प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे भी इसी तर्क को अपनाएंगे।वास्तव में, वह दृढ़ता से तर्क देंगे कि लोक सेवा आयोग के पास नियमों के अधिदेश को कमजोर करने की कोई शक्ति नहीं है।यह ऐसा मामला नहीं है जहां लिखित परीक्षा के संचालन के बाद बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार पाए गए हैं जो पात्र पाए गए हैं और अंतिम रूप से विचार किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को कम करने की आवश्यकता के हिस्से के रूप में, आयोग ने इस संबंध में साक्षात्कार में एक अलग न्यूनतम का सहारा लेने का निर्णय लिया।उन्होंने उस फैसले का समर्थन किया जो पंजाब राज्य और अन्य बनाम मंजीत सिंह और अन्य (2003) (11) एस. सी. सी. 559 में बताया गया है।

डी.

ई.

एफ.

(8) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे ने संविधान के अनुच्छेद 309 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।उन्होंने "भर्ती" शब्द की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।उन्होंने आगे अनुच्छेद 320 का उल्लेख किया और बताया कि आयोग की भूमिका की अनुच्छेद 320 (3) (ए) और 320 (3) (बी) के संदर्भ में सराहना की जानी चाहिए।दूसरे शब्दों में, वह आयोग को एक सीमित भूमिका का श्रेय देंगे।, अनुच्छेद 320 (1) के तहत परीक्षा आयोजित करने के लिए, जिसमें कोई संदेह नहीं है, वह सहमत हैं कि साक्षात्कार आयोजित करने का अधिकार भी शामिल होगा।इसलिए, वह अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों को अपनाएंगे और प्रस्तुत करेंगे कि नियम का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया जाए जो बनाया गया है।

जी.

एच.

संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत यह दिखाया जाएगा कि विवादित फैसले का केवल समर्थन किया जाना है।

वह आगे दुर्गाचरण मिश्रा के मामले (ऊपर) में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करेंगे।जहाँ तक प्रत्यर्थी संख्या 3 के पास आवश्यक योग्यता नहीं है, वह प्रस्तुत करेगा कि उच्च न्यायालय

में ऐसा कोई मामला स्थापित नहीं किया गया था।साक्षात्कार लेने वाले चयन बोर्ड की कार्यवाही को प्रस्तुत करने के बारे में पूछे जाने पर, वह प्रस्तुत करेंगे कि यह उच्च न्यायालय में दायर जवाबी हलफनामे के सावधानीपूर्वक अवलोकन के रूप में पर्याप्त नहीं हो सकता है, जो अपीलार्थी द्वारा जनवरी 2022 में इस न्यायालय में दायर एक हलफनामे के साथ प्रस्तुत किया गया है, यह नहीं दिखाएगा कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 3 के चयन सूची में रखे जाने के अधिकार से इनकार करते हुए कोई विशिष्ट तर्क दिया है कि उसके पास आवश्यक योग्यता नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है।वह आगे तर्क देंगे कि विशेष अनुमति याचिका में भी, ऐसा कोई आधार नहीं लिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 उक्त अंक पर योग्य नहीं था। वह इंगित करेंगे कि इस स्तर पर इस तरह के विवाद का आग्रह करने की अनुमति देने से जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 3 का संबंध है, न्याय की गंभीर विफलता होगी।वह आश्चर्यचकित हो जाता है और अगर इसे उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जाता, तो उस स्तर पर इससे निपटा जा सकता था, जिसकी वह शिकायत करता है।यह इंगित करने के अलावा है कि विवादित फैसले के अवलोकन से यह नहीं पता चलता है कि अपीलार्थी ने इस प्रश्न पर उच्च न्यायालय को शामिल करने का प्रयास किया था जिसे उठाया जाना चाहिए।यह विशुद्ध रूप से कानून का सवाल नहीं है जिसे पहली बार उठाया जा सके।

बी.

सी.

डी.

ई.

विश्लेषण

(9) उच्च न्यायालय ने नियमों के परिप्रेक्ष्य के आधार पर इस मामले को आगे बढ़ाया है। विचाराधीन नियम, बदले में, अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम हैं और वे गोवा सिविल सेवा नियम, 2016 हैं।यदि हम नियम 10 को शुरू में देखते हैं, तो नियम 10 इस प्रकार है:“10. सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा।- (1) सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा में लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार शामिल होगा।प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित तरीके से आयोजित की जाएगी:

एफ.

जी.

बशर्ते कि जब भी गोवा लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए आवश्यक स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने की राय रखता है, तो इसे आयोग द्वारा समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए।

एच.

गोवा सार्वजनिक सेवा आयोग बनाम पंकज रेने और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए.

(2) जब भी आयोग द्वारा सेवा के कनिष्ठ स्तर के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है, तो ऐसी लिखित परीक्षा के परिणाम आयोग द्वारा नोटिस बोर्ड और आयोग की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करके घोषित किए जाएंगे।

(3) प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 65 प्रतिशत होगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का न्यूनतम 55 प्रतिशत होगा और अन्य पिछड़े वर्ग, भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए यह कुल अंकों का न्यूनतम 60 प्रतिशत होगा।

बी.

सी.

(4) आयोग आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर मौखिक साक्षात्कार के लिए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के मुकाबले पांच गुना उम्मीदवारों को आमंत्रित करेगा।यदि अंतिम उम्मीदवार के समान अंक प्राप्त करने वाले अधिक उम्मीदवार हैं, तो ऐसे सभी उम्मीदवारों को मौखिक साक्षात्कार के लिए भी बुलाया जाएगा।

डी.

(5) लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार के लिए आवंटित किए जाने वाले अंकों को आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में पहले से अधिसूचित किया जाएगा।

ई.

(6) इस तरह का मौखिक साक्षात्कार सीसीटीवी निगरानी या वीडियोग्राफी के तहत आयोजित किया जाएगा और इसकी कार्यवाही को भी वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और ऐसी रिकॉर्डिंग आयोग का एक स्थायी रिकॉर्ड बनाएगी।

हम नियम 12 का विज्ञापन भी कर सकते हैं:

एफ.

“12. सफल उम्मीदवारों की सूची।- (1) आयोग उम्मीदवारों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक चयन सूची सरकार को भेजेगा, जो प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों के अनुसार निर्धारित की जाएगी:

जी.

बशर्ते कि यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों ने कुल मिलाकर समान संख्या में अंक प्राप्त किए हैं, तो उनकी योग्यता का क्रम लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम में होगा और यदि उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त किए हैं तो योग्यता का क्रम उनकी जन्म तिथि के अनुसार होगा।

एच.

और यदि जन्म तिथि भी वही है तो उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को योग्यता सूची में उच्च स्थान दिया जाएगा।

(2) आयोग चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय उम्मीदवारों की चयन सूची को रिक्तियों की घोषित संख्या तक सीमित करेगा।

बी.

(3) आयोग द्वारा तैयार की गई चयन सूची सरकार द्वारा प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

(4) आयोग, चयन सूची के अलावा, अपनी-अपनी श्रेणी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर 10 प्रतिशत रिक्तियों के लिए एक अलग प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगाः

सी.

बशर्ते कि प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवारों की सिफारिश केवल सरकार द्वारा की जा रही मांग पर ही सरकार को की जा सकती है यदि पहले अनुशंसित उम्मीदवार किसी भी कारण से नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।इस तरह की प्रतीक्षा सूची विज्ञापित पदों के अलावा किसी भी अतिरिक्त संख्या में पदों के लिए लागू नहीं होगी।प्रतीक्षा सूची उसी श्रेणी के लिए बाद की परीक्षा की तारीख की घोषणा पर या ऐसी प्रतीक्षा सूची तैयार करने की तारीख से एक साल की अवधि के बाद, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगी।"

डी.

ई.

(10) नियम 10 एक प्रतियोगी परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार आयोजित करने पर विचार करता है।प्रतियोगी परीक्षा अपीलार्थी द्वारा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित तरीके से आयोजित की जानी है जैसा कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे ने बताया है।

परंतुक अपीलार्थी को उम्मीदवारों की चयन सूची के लिए आवश्यक जांच परीक्षण आयोजित करने की शक्ति प्रदान करता है।इसे किस तरीके से आयोजित किया जाना है, यह आयोग द्वारा समय-समय पर तय किया जाने वाला विषय है।यह ध्यान रखना सबसे अधिक उचित है कि नियम 10 (3) विशेष रूप से घोषणा करता है कि एक उम्मीदवार को प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत प्राप्त करना चाहिए।यह कुल अंकों का 65 प्रतिशत आंका गया है।कुछ श्रेणियों के मामले में प्रतिशत कथित रूप से कम हो जाता है।इसके बाद, हमें ध्यान देना चाहिए कि नियम 10 (5) लिखित परीक्षा के लिए आवंटित किए जाने वाले अंकों की घोषणा करता है और आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में मौखिक साक्षात्कार को अधिसूचित किया जाना है।यहाँ, जैसा कि विद्वान अधिवक्ता , श्री प्रताप वेणुगोपाल, ठीक ही बताते हैं कि आयोग को नियमों के विपरीत कार्य करते हुए नहीं पाया जा सकता है, जहाँ तक कि ए

एफ.

जी.

एच.

667

गोवा सार्वजनिक सेवा आयोग बनाम पंकज रेने और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

आयोग ने विज्ञापन में लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार के लिए अंक आवंटित करने की घोषणा की है।नियम 10 में इसकी अनुपस्थिति से जो स्पष्ट है वह साक्षात्कार में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किया जाने वाला न्यूनतम है।बात यहीं खत्म नहीं होती।

(11) काफी समानता रखते हुए जैसा कि हम वर्तमान में तथ्यों में कानून के साथ देखेंगे कि पी. के. रामचंद्र अय्यर (उपरोक्त) से शुरू होने वाला इस न्यायालय का निर्णय है, नियम 12 घोषणा करता है कि आयोग सरकार को चयन सूची भेजने के लिए कर्तव्यबद्ध है।चयन सूची को उम्मीदवारों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किया जाना है।चयन सूची को योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किया जाना है, जिसे प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों के अनुसार निर्धारित किया जाना है।नियम निर्माता इस तथ्य से अवगत था कि उसने लिखित परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त करने के लिए एक अलग न्यूनतम निर्धारित किया है।इसने एक साक्षात्कार आयोजित करने पर भी विचार किया लेकिन साक्षात्कार के संबंध में एक अलग न्यूनतम निर्धारित नहीं किया गया था।लेकिन साथ ही, विधि प्रदाता ने विचार किया है कि आयोग को एक चयन सूची तैयार करनी है जिसमें योग्यता उस क्रम को निर्धारित करेगी जिसमें चयन सूची तैयार की जानी है और उसे केवल प्रतियोगी लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का योग करना है।दूसरे शब्दों में, योग्यता सूची केवल प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार विषय में

प्रदर्शन द्वारा निर्धारित की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने लिखित परीक्षा में 65 अंक प्राप्त किए हैं, वे योग्य होंगे।हमें नियम 12 के प्रावधान द्वारा हिरासत में लिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

(12) नियम 12 (2) में आगे प्रावधान किया गया है कि चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में यह रिक्तियों की घोषित संख्या तक ही सीमित रहेगा।प्रतीक्षा सूची पर भी विचार किया जाता है।यह वैधानिक नियमों पर विचार करने पर है कि उच्च न्यायालय ने यह विचार लिया है कि मामले में निर्णय लिया जाना चाहिए

एफ.

पी. के. रामचंद्र अय्यर (ऊपर) और दुर्गाचरण मिश्रा के कार्यकाल

(ऊपर) के. मंजुश्री (ऊपर) के अलावा।

(13) हम पी. के. रामचंद्र अय्यर (ऊपर) में देख सकते हैं,

निम्नलिखितः“43. प्रासंगिक नियम 1977 के नियमों के नियम 13 और 14 हैं, जिन्हें निकाला जा सकता हैः

जी.

“13.जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं जो बोर्ड द्वारा उनके विवेकानुसार निर्धारित किए जा सकते हैं, उन्हें मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

एच.

14. परीक्षा के बाद, बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को प्रत्येक श्रेणी (पेशेवर विषयवार) में योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, जैसा कि ऐसे उम्मीदवारों को अंत में दिए गए कुल अंकों द्वारा प्रकट किया गया है और ऐसे उम्मीदवार जो बोर्ड द्वारा परीक्षा द्वारा योग्य पाए जाते हैं,

उनकी नियुक्ति के लिए परीक्षा के परिणाम पर भरे जाने वाले अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक की सिफारिश की जाएगी।"

बी.

44. याचिकाकर्ता विद्वान अधिवक्ता श्री रामचंद्रन ने तर्क दिया कि नियम 13 में मौखिक परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की परिकल्पना नहीं की गई है, भले ही यह लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर विचार करता है ताकि मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए जाने के लिए पात्र हो सके।यह भी आग्रह किया गया कि नियम 14 में योग्यता सूची की व्यवस्था करने के तरीके को निर्दिष्ट किया जाए।नियम 14 में प्रावधान है कि लिखित और मौखिक परीक्षा दोनों आयोजित होने के बाद, उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा प्रत्येक श्रेणी (पेशेवर विषयवार) में योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, जैसा कि प्रत्येक उम्मीदवार को अंत में दिए गए कुल अंकों द्वारा प्रकट किया गया है और ऐसे उम्मीदवार जो बोर्ड द्वारा परीक्षा द्वारा योग्य पाए जाते हैं, उन्हें परीक्षा के परिणाम पर भरे जाने वाले अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया जाएगा।नियम 13 और 14 को एक साथ पढ़ने पर दो बातें सामने आती हैं।यह बोर्ड के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करने के लिए खुला है जो उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए पात्र बनने से पहले लिखित परीक्षा में प्राप्त करना होगा।लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के न्यूनतम अंक या उससे अधिक प्राप्त करने के बाद और वह वाइवा वॉयस टेस्ट के लिए बुलाए जाने के योग्य हो जाता है, उसे वाइवा वॉयस टेस्ट में उपस्थित होना पड़ता है।न तो नियम 13 और न ही नियम 14 और न ही कोई अन्य नियम ए. एस. आर. बी. को मौखिक परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने में सक्षम बनाता है।इसके विपरीत, नियम 14 की भाषा ए. एस. आर. बी. में ऐसी किसी भी शक्ति को स्पष्ट रूप से नकारती है जब यह प्रावधान किया जाता है कि लिखित परीक्षा के बाद यदि उम्मीदवार ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, तो वह मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए जाने के लिए पात्र है और अंतिम योग्यता सूची लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के योग के अनुसार तैयार की जाएगी।ए. एस. आर. बी. ने अपने लिए जो अतिरिक्त योग्यता निर्धारित की है, वह यह है कि उम्मीदवार के पास मौखिक परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की और योग्यता होनी चाहिए, नियम 13 और 14 में जगह नहीं मिलती है, यह वस्तुतः नियमों में संशोधन के बराबर है।आवश्यक अनुमान से, ए में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

669

गोवा सार्वजनिक सेवा आयोग बनाम पंकज रेने और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए. एस. आर. बी. आवश्यक योग्यताओं को जोड़ने के लिए यदि ऐसी शक्ति का दावा किया जाता है, तो इसे स्पष्ट होना चाहिए और इस स्पष्ट कारण से आवश्यक निहितार्थ से नहीं पढ़ा जा सकता है कि नियमों से इस तरह के विचलन से अपूरणीय और अपरिवर्तनीय नुकसान होने की संभावना है।हालाँकि हमारे सामने मामले के तथ्यों में यह प्रतीत नहीं होता है कि मौखिक परीक्षा के लिए 100 अंकों के आवंटन के कारण परिणाम अनुचित रूप से प्रभावित हुआ है।हम ऐसा रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री की कमी के कारण कहते हैं।इस पृष्ठभूमि में हम यह मानने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि लिखित परीक्षा के लिए आवंटित 600 अंकों की तुलना में मौखिक परीक्षा के लिए 100 अंक अनुचित रूप से अधिक थे।लेकिन ए. एस. आर. बी. ने मौखिक परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 40 अंक निर्धारित करने में नियम 14 का उल्लंघन किया क्योंकि ए. एस. आर. बी. में इस अतिरिक्त योग्यता को निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं थी, और एक अस्वीकार्य अतिरिक्त योग्यता के इस प्रिस्क्रिप्शन का योग्यता सूची पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि योग्यता सूची उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के अनुसार तैयार की जानी थी।एक बार वाइवा वॉस टेस्ट में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अतिरिक्त योग्यता का पालन करने के बाद, एक उम्मीदवार जो योग्यता सूची में उच्च स्थान पर हो सकता है, उसे इस आधार पर अस्वीकार किए जाने की संभावना थी कि उसने वाइवा वॉस टेस्ट में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं किए हैं।उदाहरण के लिए, एक उम्मीदवार जिसने लिखित परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए हैं और वाइवा वॉस परीक्षा में 38 अंक प्राप्त किए हैं, यदि कुल 438 अंकों पर विचार किया जाए तो चयन क्षेत्र के भीतर आने की संभावना थी, लेकिन ए. एस. आर. बी. द्वारा इस आधार पर समाप्त कर दिया जाएगा कि उसने वाइवा वॉस परीक्षा में योग्यता अंक प्राप्त नहीं किए हैं।यह अस्वीकार्य और नियमों के विपरीत था और नियमों के उल्लंघन में तैयार की गई योग्यता सूची को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

(14) हमें अगला ध्यान दुर्गाचरण मिश्रा (ऊपर) पर देना चाहिए:

“6. नियम 16,17,18 और 19 प्रासंगिक नियम हैं जो निर्धारण के लिए आने वाले प्रश्न से संबंधित हैं।ये नियम इस प्रकार हैं:

जी.

“16. आयोग मौखिक परीक्षा के लिए उन सभी उम्मीदवारों को बुलाएगा जिन्होंने लिखित परीक्षा में सभी विषयों में प्राप्त न्यूनतम योग्यता अंकों से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं जो सभी पत्रों में कुल अंकों का 30 प्रतिशत होगा:

एच.

बशर्ते कि सरकार उच्च न्यायालय और आयोग के परामर्श के बाद किसी विशेष भर्ती के संबंध में लिखित परीक्षा में किसी भी या सभी विषयों में उच्च योग्यता अंक निर्धारित कर सकती है।

17. मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कोई भी उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करेगा और मौखिक परीक्षा में उपस्थित रहेगा और न्यायिक सेवा में आवश्यक विशेष गुणों के अधिकार के दृष्टिकोण से मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों की योग्यता पर आयोग को सलाह देगा, लेकिन उम्मीदवारों के चयन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

बी.

सी.

18. वाइवा वॉयस टेस्ट में प्राप्त अंकों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाएगा। आयोग द्वारा योग्यता के क्रम में उम्मीदवारों के नामों की व्यवस्था की जाएगी।यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार कुल मिलाकर समान अंक प्राप्त करते हैं, तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार क्रम निर्धारित किया जाएगा।यदि संबंधित उम्मीदवार की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक भी बराबर हैं, तो वैकल्पिक पत्रों में प्राप्त अंकों की कुल संख्या के अनुसार क्रम तय किया जाएगा।

डी.

19. (1) इसके बाद आयोग नियम 18 के अनुसार तैयार की गई उम्मीदवारों की सूची कानून विभाग में सरकार को भेजेगा, जिसमें संकेत दिया जाएगा कि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है या नहीं।

ई.

(2) तैयार की गई सूची आयोग द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित की जाएगी।

एफ.

(3) यह सूची, जब तक कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से अन्यथा निर्णय नहीं लेता है, आयोग द्वारा इसे तैयार करने की तारीख से सामान्य रूप से एक वर्ष के लिए लागू होगी।"

7. नियम बनाने वाले अधिकारियों ने न्यायिक पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए एक योजना प्रदान की है।नियम 16 लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम योग्यता अंकों को निर्धारित करता है।यह सभी पेपरों में कुल अंकों का 30 प्रतिशत है।जिन उम्मीदवारों ने उस न्यूनतम से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें ही मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।नियम वाइवा वॉयस टेस्ट में सुरक्षित किए जाने वाले ऐसे किसी भी न्यूनतम अंक को निर्धारित नहीं करते हैं।मौखिक परीक्षण के बाद आयोग ए.

जी.

एच.

671

गोवा सार्वजनिक सेवा आयोग बनाम पंकज रेने और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

लिखित परीक्षा के अंकों में वाइवा वॉयस टेस्ट के अंक जोड़ें।वहाँ तब नियम 18 में कहा गया हैः

"आयोग द्वारा योग्यता के क्रम में उम्मीदवारों के नामों की व्यवस्था की जाएगी।

11. इन निर्णयों के आलोक में यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि तत्काल मामले में आयोग के पास मुन्सिफ के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए मौखिक परीक्षा में न्यूनतम मानक निर्धारित करने की भी कोई शक्ति नहीं है।

बी.

15. ये नियम संविधान के अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए हैं।अनुच्छेद 234 के अनुसार राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी।यह राज्य सेवा आयोग और राज्य उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के बाद उस ओर से राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होगा।विचाराधीन नियम आयोग और राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद बनाए गए हैं।जिस आयोग का गठन नियमों के तहत किया गया है, उसे नियमों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए।इसे नियमों के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करना

चाहिए।यह चयन के लिए पात्रता या उपयुक्तता के रूप में अतिरिक्त आवश्यकताओं को निर्धारित नहीं कर सकता है।इसलिए वाइवा वॉयस टेस्ट में न्यूनतम अंक निर्धारित करने का आयोग का निर्णय अवैध और बिना अधिकार के होगा।

सी.

डी.

ई.

(15) एक सवाल उठ सकता है कि क्या लोक सेवा आयोग इस संबंध में नियमों से अलग हो सकता है।मंजीत सिंह और अन्य (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से प्रकाश पड़ता है।हम इस न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित स्पष्टीकरण का उल्लेख कर सकते हैं।

एफ.

"9.

.... जहां नियमों या राज्य द्वारा पात्रता मानदंडों से ऊपर और ऊपर कोई विशेष योग्यता या दक्षता का कोई निर्धारित मानक प्रदान नहीं किया गया है, तो यह आयोग के लिए न्यूनतम दक्षता बनाए रखने के लिए कोई अतिरिक्त योग्यता/मानक लागू करना नहीं होगा, जो उसे लगता है कि आवश्यक हो सकता है।

जी.

....

एच.

10. जैसा कि पहले देखा गया है, शॉर्टलिस्ट करने के उद्देश्य से कट-ऑफ अंक प्रदान करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होगा।दिए गए उम्मीदवारों की किसी भी संख्या को सूची के शीर्ष से योग्यता के क्रम में आवश्यक उम्मीदवारों की संख्या तक निकाला जा सकता है।उदाहरण के लिए, ऐसी स्थिति हो सकती है जब आवश्यक संख्या से अधिक उम्मीदवार कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, 10,000 में से यदि 8000 या 6000 उम्मीदवार 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं तो उन सभी को आगे की परीक्षाओं और साक्षात्कार आदि के लिए बुलाना पड़ सकता है। यह उस स्थिति में उम्मीदवारों के दिए गए

अनुपात और उपलब्ध रिक्ति को प्राप्त करने के लिए इस विधि द्वारा शॉर्टलिस्ट करने के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा।100 रिक्तियों के लिए अधिकतम 500 उम्मीदवारों को बुलाने की आवश्यकता है।यदि ऐसा है, तो कोई भी उम्मीदवार जो अन्यथा 500 वें पद तक का पात्र है, जो भी प्रतिशत निर्धारित प्रतिशत से ऊपर या नीचे हो, वह आगे की परीक्षाओं के लिए बुलाए जाने का पात्र होगा।इस प्रकार शॉर्टलिस्टिंग का उद्देश्य किसी भी न्यूनतम कट-ऑफ अंक को निर्धारित किए बिना प्राप्त किया जाएगा।11. हाथ में मामले में, यह आयोग के लिए नहीं था कि उसने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में कोई कट-ऑफ अंक तय किए हों। परिणाम स्पष्ट रूप से यह रहा है कि साक्षात्कार के लिए अन्यथा योग्य उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है, कहते हैं कि उनके पास आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता नहीं है।चयन योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार द्वारा किया गया था।यह निश्चित रूप से आयोग की जिम्मेदारी है कि वह विचार के योग्य लोगों में से कुशल लोगों का चयन करे।अयोग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार द्वारा चयन में अस्वीकार किया जा सकता है। यह अधीनता का सवाल नहीं है, बल्कि नीतियों के कुछ मामले हैं, जिन पर सरकार को निर्णय लेना है।आयोग संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत अपनी शक्तियों के साथ-साथ अपनी सीमाओं को भी प्राप्त करता है।आयोग का स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है।इसे सरकार के किसी भी दबाव में काम नहीं करना चाहिए, जैसा कि अपीलार्थी आयोग की ओर से प्रस्तुत किया गया है।लेकिन साथ ही उसे कानून के प्रावधानों का पालन करना होगा और इस विषय पर नियमों और विनियमों का पालन करना होगा और उन नीतिगत निर्णयों को ध्यान में रखना होगा जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं।यह अपने दायरे से बाहर के मामले में अपने स्वयं के नीतिगत निर्णय को लागू नहीं कर सकता है।”

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

673

गोवा सार्वजनिक सेवा आयोग बनाम पंकज रेने और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए.

(16) इस संबंध में, हमें ध्यान देना चाहिए कि 1866 के उम्मीदवारों के इस मामले के तथ्यों में, जो स्क्रीनिंग टेस्ट/कंप्यूटर टेस्ट में उपस्थित हुए थे, केवल 7 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण

की, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 शामिल थे।यह संख्या और कम होकर 4 रह गई और जिसमें फिर से प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 शामिल थे।इसलिए, जब सवाल उठा कि साक्षात्कार कैसे आयोजित किया जाना चाहिए, तो आयोग ने कट ऑफ अंकों के रूप में 40 में से 26 अंक निर्धारित करने का निर्णय लिया।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह साक्षात्कार खंड में कुल अंकों का 60 प्रतिशत है।नियमों में साक्षात्कार के लिए अलग न्यूनतम का प्रावधान नहीं था। विज्ञापन में साक्षात्कार में एक अलग न्यूनतम का प्रावधान नहीं किया गया था।साक्षात्कार से लगभग एक सप्ताह पहले आयोग ने इस संबंध में निर्णय लिया था।हमने इन तथ्यों को केवल इस बात को उजागर करने के लिए कहा है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आयोग को बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने का काम करना पड़ा हो।6 अनारक्षित पदों और 5 आरक्षित पदों के लिए अंतिम चरण में केवल 4 उम्मीदवारों के रूप में उभरे।, मौखिक साक्षात्कार।इसलिए, दूसरे शब्दों में, यह विद्वान अधिवक्ता श्री प्रताप वेणुगोपाल द्वारा दिए गए निर्णय से अलग है।

बी.

सी.

डी.

अपीलार्थी के लिए। एम. पी. लोक सेवा आयोग (ऊपर)।कि

यह एक ऐसा मामला था जिसमें इस न्यायालय ने नोट किया कि अपीलकर्ता आयोग ने चार पदों के खिलाफ सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से प्राप्त बड़ी संख्या में आवेदनों को ध्यान में रखते हुए केवल 71 आवेदकों को बुलाने का फैसला किया, जिनके पास साढ़े सात साल का अभ्यास था, हालांकि 188 आवेदक पात्र थे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त मामले में लागू प्रावधानों की धारा 8 (3) (सी) के तहत, मध्य प्रदेश के अधिवक्ता या वकील के रूप में पांच साल का अभ्यास एक न्यूनतम आवश्यकता थी।इसलिए, यह एक ऐसा मामला था जिस पर हालांकि अपीलार्थी ने भरोसा किया था, लेकिन तथ्यों के आधार पर अलग किया जा सकता है।यह इस बात पर ध्यान देने के अलावा है कि अपीलार्थी न्यायालय को यह सूचित करने में सक्षम नहीं है कि क्या उक्त मामले में इस मामले में मौजूद नियम 12 के समान कोई नियम था।जहां तक योगेश यादव (उपरोक्त) का संबंध है, यह फिर से ऐसा मामला नहीं है जिसमें नियमों के नियम 12 से मिलता-जुलता नियम शामिल हो।हम यह भी देख सकते हैं कि उक्त मामले में भर्ती स्वयं नियोक्ता द्वारा की गई थी और यह भर्ती निकाय द्वारा नहीं की गई थी जो अपीलार्थी है और जो संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों द्वारा सीमित है।

ई.

एफ.

जी.

(17) योगेश यादव (ऊपर) का पैरा 13 नीचे निकाला गया है:13. तत्काल मामला ऐसा मामला नहीं है जहां वाइवा वॉस के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं और यह लिखित परीक्षा के बाद किया जाना चाहिए।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थियों को निर्देश

एच.

बशर्ते लिखित परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक हों और साक्षात्कार के लिए 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हों।यह भी प्रावधान किया गया था कि लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी में न्यूनतम 50 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणियों में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।पूरा चयन उपरोक्त मानदंड के अनुसार किया गया था जो भर्ती प्रक्रिया के समय निर्धारित किया गया था।साक्षात्कार आयोजित करने के बाद, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के अंक जोड़े जाने थे।हालाँकि, चूंकि नियुक्ति देने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया था।तत्काल मामले में क्या किया जाता है कि केवल उन व्यक्तियों को नियुक्ति देने का निर्णय लिया जाता है जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और आरक्षित श्रेणी में 65 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।पहली बार में इस पहलू पर किसी भी नियम के अभाव में, यह "खेल के नियमों" को बदलने के बराबर नहीं है।उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि ऐसी स्थिति नहीं है जहां न्यूनतम अंक प्राप्त करना शुरू किया गया था जो विज्ञापन में निर्धारित नहीं किया गया था, चयन के उद्देश्य के लिए मानक तय किया गया था।इसलिए, यह खेल के नियमों को बदलने का मामला नहीं है।इसके विपरीत तत्काल मामले में केवल उन लोगों को नियुक्ति देने का निर्णय लिया जाता है जो निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं।इस तरह के मानदंड का निर्धारण कानून में अनुमत है।यह एक पूरी तरह से अलग स्थिति है जो हेमानी मल्होत्रा मामले [हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय, (2008) 7 एस. सी. सी. 11:(2008) 2 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 203]।

बी.

सी.

डी.

ई.

(18) हालाँकि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त टिप्पणियों पर जोर दिया, लेकिन हमारा विचार है कि यह नियम 12 के संबंध में किसी भी तरह से अलग है जो हम पहले ही देख चुके हैं जो इस मामले के तथ्यों पर लागू होता है।

एफ.

दूसरे शब्दों में, हम सोचेंगे कि इस मामले के तथ्यों में, वे पी. के. रामचंद्र अय्यर मामले में मामले के तथ्यों और उसी के बाद के फैसले के करीब हैं जो हम पहले ही नोट कर चुके हैं।जहाँ तक तेज प्रकाश पाठक और अन्य मामलों का संबंध है, इसमें फिर से नियम 12 के समान नियम विशेष रूप से शामिल नहीं था।

जी.

(19) यह सच है कि के. मंजुश्री (उपरोक्त) मामले के तथ्यों के साथ तथ्यों में अंतर है।हम देखते हैं कि यह एक ऐसा मामला था जहां लिखित परीक्षा और ए से युक्त पूरी चयन प्रक्रिया के बाद साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता थी।

एच.

675

गोवा सार्वजनिक सेवा आयोग बनाम पंकज रेने और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

साक्षात्कार पूरा हो गया था और तथ्यों को देखते हुए, न्यायालय ने घोषणा की कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों को बदलने के बराबर होगा।इस मामले में, साक्षात्कार में प्राप्त की जाने वाली न्यूनतम शर्त की घोषणा साक्षात्कार के आयोजन से पहले की गई थी। हालाँकि, हम सोचेंगे कि इस मामले को इस सिद्धांत पर तय किया जाना चाहिए कि

पी. के. रामचंद्र अय्यर (ऊपर) और दुर्गाचरण में निर्धारित किया गया था

बी.

मिश्रा (ऊपर) उन कारणों के लिए जो हम पहले ही इंगित कर चुके हैं।(20) जहाँ तक प्रत्यर्थी संख्या 3 के पास आवश्यक योग्यता नहीं होने से संबंधित प्रश्न का संबंध है, हम निम्नलिखित पर ध्यान दे सकते हैं:

यह सच है कि नियमों के तहत, के ओंकानी के ज्ञान को एक आवश्यक योग्यता के रूप में घोषित किया गया है जिसे विज्ञापन भी दोहराता है।साक्षात्कार आयोजित किया गया।रिट याचिका सभी प्रत्यर्थीगण द्वारा एक साथ दायर की गई थी।ऐसा प्रतीत होता है कि जिस विवाद ने उच्च न्यायालय को साक्षात्कार में एक अलग न्यूनतम के लिए निर्धारित करने की अपीलार्थी की शक्ति से संबंधित विवादित निर्णय में शामिल किया है।आक्षेपित निर्णय इस आधार पर कि प्रत्यर्थीगणओं के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि आयोग के पास एक अलग

न्यूनतम के लिए निर्धारित करने की शक्ति नहीं थी, इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 3 को अन्यथा अयोग्य घोषित कर दिया गया था, तीसरे प्रत्यर्थी पर मुकदमा न करने के अपीलार्थी के किसी भी प्रयास को मामूली रूप से भी प्रतिबिंबित नहीं करता है।हमें विवादित फैसले में इस तरह के मामले की एक फुसफुसाहट भी नहीं मिलती है।हम आगे ध्यान देते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि अपीलार्थी ने विशेष अनुमति याचिका में एक आधार के रूप में इसका आग्रह किया हो।जनवरी, 2022 में इस न्यायालय में इस मामले में दायर आपत्ति में यह सच है, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में अपनी दलीलें प्रस्तुत की हैं।हमने दलीलों पर गौर किया है। अपीलार्थी विशेष रूप से प्रत्यर्थी सं. की अयोग्यता से संबंधित किसी भी आरोप को इंगित करने में सक्षम नहीं हुआ है। 3 इस आधार पर कि उसके पास उस प्रकार की आवश्यक योग्यता नहीं है जिसकी शिकायत की गई है।यह भी सच है कि इस सवाल का कि क्या कोई उम्मीदवार योग्य है, जिसमें उसे कोंकणी भाषा का ज्ञान है, साक्षात्कार में परीक्षण किया गया प्रतीत होगा।यह भी उतना ही सच है कि यह एक आवश्यक योग्यता है।लेकिन क्या किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य ठहराया जाएगा कि उसके पास तथ्यों में विशेष आवश्यक योग्यता नहीं थी, यह तथ्य का शुद्ध प्रश्न है।इसे इस तरह से नहीं देखा जाता है।हम दोहराते हैं कि विवादित निर्णय यह नहीं दर्शाता है कि अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष इसका आग्रह किया है।चयन बोर्ड की कार्यवाही के अलावा, यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को इस आधार पर अयोग्य ठहराया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

इसलिए हम सोचेंगे कि अपीलार्थी को यह प्रश्न उठाने की अनुमति देना उचित नहीं हो सकता है।

(21) हम सोचते हैं कि प्रत्यर्थीगणओं का यह कहना उचित है कि उच्च न्यायालय अपीलार्थी को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दे रहा है कि प्रत्यर्थीगणओं को अनुशंसित होने का हकदार

नहीं माना जा सकता है।हालाँकि यह सवाल उठ सकता है कि जो राहत दी जा सकती है, उसकी प्रकृति क्या है।हम रिट याचिका में निर्धारित राहतों से देखते हैं कि यह इस प्रकार हैः

बी.

"(क) यह माननीय न्यायालय प्रत्यर्थी सं. 1 को विज्ञापन सं. 14/2016 के संदर्भ में एक चयन सूची तैयार करने और कानून के अनुसार उक्त चयन सूची के आधार पर सरकार को सिफारिशें करने का आदेश देते हुए अनिवार्य लिखित आदेश या अनिवार्य लिखित आदेश या किसी अन्य उपयुक्त लिखित आदेश या निर्देश जारी करने के लिए प्रसन्न होगा।

सी.

(बी) यह माननीय न्यायालय एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए भी प्रसन्न होगा, जिसमें विज्ञापन दिनांक 21.07.2017 जिसमें संख्या 7/2017 है, को रद्द करने के लिए कहा गया है।

डी.

(ग) इस याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान तक, यह माननीय न्यायालय विज्ञापन संख्या 7/2017 दिनांक 21.07.2017 के अनुसार पूरी चयन प्रक्रिया के निष्पादन और संचालन पर रोक लगाने के लिए प्रसन्न होगा।

ई.

(डी) प्रार्थना खंड (सी) के संदर्भ में अंतरिम राहत;

(ई) कोई अन्य राहत, जैसा कि उचित और उचित समझा जाता है, कृपया याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दी जा सकती है;

एफ.

((च) लागतों के लिए।"

हम उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत को पहले ही देख चुके हैं।(22) एक और पहलू है जिस पर हमें विचार करना चाहिए।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, रिट याचिका दायर करने से पहले ही आयोग ने नई कार्यवाही शुरू कर दी थी।जबकि विवादित फैसले पर रोक है, इस अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि नियुक्तियां विशेष अनुमति याचिका के परिणाम के अधीन होंगी।

जी.

चूँकि अपीलार्थी आक्षेपित आदेश को चुनौती देने में विफल रहता है, इसलिए प्रत्यर्थीगणओं को अंततः निवारण प्राप्त करना चाहिए।तदनुसार, जबकि हम ए को खारिज करते हैं

एच.

गोवा सार्वजनिक सेवा आयोग बनाम पंकज रेने और ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपील में, हम विवादित आदेश में निहित निर्देशों को दोहराते हैं और यह नियुक्ति प्राधिकरण के लिए है कि वह मामले में कानून के अनुसार निर्णय ले।

लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना अपील खारिज कर दी जाती है।

अपीलार्थी आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में सूची भेजेगा।प्रत्यर्थी संख्या 4 अपीलार्थी से सूची प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की और अवधि के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लेगा।

बी.

सी.

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.